

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105

बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप व सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं)।

उद्देश्य

1. इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) का उद्देश्य, बिक्री के लिए धारित आस्तियों के लेखा तथा बंद परिचालनों के प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन को विनिर्दिष्ट करना है। विशेषकर, यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) यह अपेक्षा करता है कि :
 - (क) आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित के वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत को घटा कर उचित मूल्य, इन दोनों में जो भी कम है, उस पर मापा जायेगा तथा इस प्रकार की आस्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाना बंद हो जाता है; तथा
 - (ख) आस्तियां जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण के मापदंड को पूरा करती हैं, को तुलन-पत्र में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा बंद परिचालनों के परिणामों को लाभ तथा हानि के विवरण में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यक्षेत्र

2. इस इंड ए एस की वर्गीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षाएं प्रतिष्ठान की सभी मान्य गैर-चालू आस्तियों¹ तथा सभी निपटान समूहों पर लागू होती हैं। इंड ए एस की माप अपेक्षाएं सभी मान्यता गैर-चालू आस्तियों तथा निपटान समूहों पर लागू होती हैं, [जैसा कि अनुच्छेद 4 में निर्धारित किया गया है।] लेकिन, ये अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध आस्तियों पर लागू नहीं होती हैं जिनका माप उनके साथ उल्लिखित मानकों के अनुसार ही जारी रहेगा।
3. इंड ए एस 1, *वित्तीय विवरण की प्रस्तुतिकरण*, के अनुसार गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत आस्तियों को चालू आस्तियों के रूप में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जायेगा जब तक वे इस इंड ए एस के अनुसार बिक्री के रूप में धारित वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करतीं। एक श्रेणी की आस्तियां जिन्हें एक प्रतिष्ठान सामान्यतः गैर-चालू मानता है जो कि एक निष्ट रूप से पुनः बिक्री के लिए अधिगृहित की गई हैं को चालू के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार बिक्री के लिए धारित वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करती हैं।

¹ चलनिधि(लिक्विडिटी) प्रस्तुति के अनुसार वर्गीकृत आस्तियों के लिए गैर-चालू आस्तियों में वे आस्तियां सम्मिलित हैं जिनकी रिपोर्टिंग अवधि के बाद 12 माह से अधिक समय के बाद वसूल होने की आशा है। अनुच्छेद 3 इस प्रकार की आस्तियों के वर्गीकरण पर लागू होता है।

4. कभी-कभी एक प्रतिष्ठान आस्तियों के एक समूह का निपटान संभवतः किसी प्रत्यक्ष दायित्व के साथ जोड़कर एकल लेन-देन में करता है। इस प्रकार का निपटान-समूह नकद सृजन इकाईयों का समूह, एक एकल नकद सृजन इकाई अथवा नकद सृजन इकाई का एक भाग² हो सकता है। समूह में प्रतिष्ठान की कोई भी आस्तियां अथवा दायित्व जिसमें चालू आस्तियां व चालू दायित्व तथा इस इंड ए एस के अनुच्छेद 5 द्वारा छोड़ी गयीं आस्तियां सम्मिलित हो सकती हैं। यदि इस इंड ए एस की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कोई गैर चालू आस्ति निपटान समूह का भाग बनती है तो इस इंड ए एस की माप अपेक्षाएं पूरे समूह पर लागू होती हैं, ऐसे में समूह को अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर, इनमें जो भी कम है, उस पर मापा जाता है। निपटान समूह के अंदर व्यक्तिगत आस्तियों तथा दायित्वों को मापने की अपेक्षाएं अनुच्छेद 18, 19 तथा 23 में निर्धारित की गयी हैं।
5. इस इंड ए एस³ के माप उपबंध निम्नलिखित आस्तियों पर लागू नहीं होते हैं, जो संबंधित इंड ए एस में, व्यक्तिगत आस्तियां अथवा निपटान समूह के भाग के रूप में सूचीबद्ध की गयीं हैं :
- (क) आस्थगित कर आस्तियां [इंड ए एस 12, *आयकर*]
- (ख) कर्मचारी लाभों से उत्पन्न आस्तियां [इंड ए एस 19, *कर्मचारी लाभ*]
- (ग) इंड ए एस 109, *वित्तीय लिखतें*, के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय आस्तियां ।
- (घ) [देखें परिशिष्ट 1] ।
- (ङ) गैर-चालू आस्तियां जिन्हें इंड ए एस 41, *कृषि*, के अनुसार बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- (च) बीमा अनुबंधों के अन्तर्गत अनुबंधात्मक अधिकार जिन्हें इंड ए एस 104, *बीमा अनुबंध*, में परिभाषित किया गया है।
- 5 क. इस इंड ए एस के वर्गीकरण, प्रस्तुति तथा माप की अपेक्षाएं उस एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) पर लागू होती हैं, जिन्हें बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे स्वामित्व की हैसियत से (स्वामियों को वितरण के लिए धारित) इस इंड ए एस के वर्गीकरण, प्रस्तुति तथा माप की अपेक्षाएं गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) पर भी लागू होंगी जिन्हें स्वामियों के वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 5 ख. यह इंड ए एस बंद परिचालनों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के संबंध में अपेक्षित प्रकटन को विनिर्दिष्ट करता है। अन्य इंड ए एस के प्रकटन इस प्रकार की आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) पर लागू नहीं होते हैं, जब तक कि उन भारतीय लेखा मानकों की ऐसी अपेक्षा न हों।

² चूंकि एक आस्ति अथवा आस्तियों के समूह से नकद प्रवाह मुख्यतया लगातार उपयोग की बजाय बिक्री से उत्पन्न होने की आशा होती है, वे अन्य आस्तियों से उत्पन्न नकद प्रवाहों पर कम निर्भर हो जाते हैं तथा एक निपटान समूह जो एक नकद सृजक इकाई का अंग था एक पृथक नकद सृजक इकाई बन जाता है।

³ अनुच्छेद 18 और 19 से भिन्न प्रश्नगत आस्तियों को अन्य लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार मापी जाएगी।

- (क) बंद परिचालनों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के संदर्भ में विशिष्ट प्रकटन; अथवा
- (ख) एक निपटान समूह के अंदर आस्तियों तथा दायित्वों के माप के बारे में प्रकटन, जो इंड ए एस 105 की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं तथा वित्तीय विवरणों की अन्य टिप्पणियों में पहले से नहीं किये गये हैं।

बिक्री के लिए धारित या बंद परिचालनों के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) के बारे में अतिरिक्त प्रकटन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 की सामान्य अपेक्षाओं, और विशेषकर उस मानक के अनुच्छेद 15 तथा 125 की अपेक्षाओं, के अनुपालन के लिए आवश्यक हो सकता है।

बिक्री के लिए धारित अथवा स्वामियों को वितरण के लिए धारित गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) का वर्गीकरण

6. एक प्रतिष्ठान एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूहों) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि मुख्य रूप से लगातार उपयोग की बजाय बिक्री के लेनदेन के द्वारा वसूल होगी।
 7. ऐसा मामला होने के लिए, आस्ति (अथवा निपटान समूह) वर्तमान स्थिति में तुरन्त बिक्री के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जो केवल उन शर्तों के तहत हो जो इस प्रकार की आस्तियों (निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य तथा पारंपारिक है तथा बिक्री अति संभावित होनी चाहिए। इस तरह, एक आस्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता यदि प्रतिष्ठान इसे भविष्य में बहुत समय के बाद बिक्री करना चाहता है।
 8. बिक्री की अति संभावना के लिए, प्रबन्धन का उपयुक्त स्तर आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री की योजना के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा क्रेता की खोज के लिए वह एक सक्रिय कार्यक्रम द्वारा योजना को पूरा करने के सभी प्रयास आरंभ करे। साथ ही, आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन आवश्यक है ताकि उसे ऐसी कीमत पर बेचा जा सके जो चालू उचित मूल्य के अनुसार उचित हों। इसके अतिरिक्त, (आस्ति निपटान) में बिक्री के रूप में वर्गीकृत करने की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता की अहर्ता होनी चाहिए, सिवाय ऐसी स्थिति जिसकी अनुच्छेद 9 के द्वारा अनुमति दी गई हो, जब योजना को पूर्ण करने की कार्यवाही में ऐसे संकेत हों कि योजना में शायद ही कोई उल्लेखनीय बदलाव किया जा सकता है अथवा योजना को वापिस लिया जा सकता है। क्या बिक्री अति शीघ्र हो सकती है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए शेयरधारकों की अनुमति (जहां आवश्यक है) उस निर्धारण का हिस्सा मानी जाएगी।
- 8 क. एक प्रतिष्ठान जो इस प्रकार की बिक्री-योजना के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें अनुषंगी प्रतिष्ठान पर अपना नियंत्रण खोना लिप्त है तो वह उस अनुषंगी प्रतिष्ठान की सभी आस्तियों तथा दायित्वों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करेगा जब उसमें अनुच्छेद 6-8 में निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया हो।

यद्यपि चाहे वह प्रतिष्ठान बिक्री के पश्चात् भी भूतपूर्व अनुषंगी प्रतिष्ठान में गैर-नियंत्रित हित बरकरार रखेगा।

9. घटनाएं अथवा परिस्थितियां बिक्री को पूर्ण करने की अवधि को एक वर्ष से आगे बढ़ा सकती हैं। एक बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से नहीं रोकता यदि देरी प्रतिष्ठान की उस घटना अथवा परिस्थिति के कारण हुई हो जिस पर उसका कोई वश न था और इस बात का पर्याप्त साक्ष्य हो कि प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की अपनी योजना के लिए प्रतिबद्ध है। यह मामला तब होगा जब परिशिष्ट 'ख' में दिया गया मानदंड पूरा होगा।
10. बिक्री लेन-देनों में अन्य गैर चालू आस्तियों के लिए गैर चालू आस्तियों का विनिमय सम्मिलित रहता है जब भारतीय लेखा मानक 16, *आस्तियां, संयंत्र और उपस्कर* के अनुसार विनिमय का वाणिज्यिक सारत्व हो।
11. जब एक प्रतिष्ठान इस आशय से एक निश्च रूप से गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का अधिग्रहण करता है कि वह इसका निपटान बाद में करेगा, तो वह अधिग्रहण-तिथि पर बिक्री के लिए धारित के रूप में गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण करेगा बशर्ते अनुच्छेद 8 में दी गयी एक वर्ष की अपेक्षा पूरी होती हो (लेकिन अनुच्छेद 9 के द्वारा अनुमति को छोड़कर) तथा इसकी अधिक संभावना रहे कि अनुच्छेद 7 तथा 8 में किसी अन्य मानदंड को, जिसे उस तिथि तक पूरा नहीं किया गया है, अधिग्रहण (प्रायः तीन माह के अंदर) अल्प अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।
12. यदि अनुच्छेद 7 तथा 8 में दिये गये मानदंडों को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् पूरा किया जाता है तो प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित एक गैर चालू आस्ति को उन वित्तीय विवरणों में, जब वे जारी किये जाते हैं, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा। लेकिन, जब रिपोर्टिंग अवधि के बाद और वित्तीय विवरणों के अनुमोदन से पूर्व मानदंडों को पूरा कर लिया जाता है तो प्रतिष्ठान टिप्पणियों के अनुच्छेद 41 (क), (ख) तथा (ग) में निर्दिष्ट सूचना को प्रकट करेगा।
- 12 क. एक गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को स्वामियों को वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब प्रतिष्ठान स्वामियों को आस्ति (अथवा निपटान समूह) को वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा मामला होने के लिए, एक आस्ति को अपनी वर्तमान स्थिति में तुरन्त वितरण के लिए उपलब्ध होना चाहिए, वितरण अतिसंभाव्य हो और उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही तुरन्त आरंभ कर देनी चाहिए और वह (कार्यवाही) वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर पूरी होने की अपेक्षा होनी चाहिए। वितरण को पूर्ण करने के लिए की जा रही अपेक्षित कार्यवाही में यह संकेत होना चाहिए कि वितरण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की अथवा वितरण को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है। अंशधारकों की अनुमति की संभावना (यदि न्याय क्षेत्र में आवश्यक है), क्या वितरण अति संभाव्य है का निर्धारण करने के लिए एक हिस्से के रूप में मानी जाएगी।

गैर चालू आस्तियां जिनका परित्याग किया जाना है

13. एक प्रतिष्ठान एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) जिसका परित्याग किया जाना है को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं करेगा। यह इसलिए है कि इसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि को मुख्यतः निरन्तर उपयोग द्वारा ही वसूला जायेगा। यद्यपि, यदि परित्याग किये जाने वाला निपटान-समूह अनुच्छेद 32 (क) - (ग) में दिये गये मानदंडों को पूरा करता है तो प्रतिष्ठान निपटान-समूह के परिणामों तथा नकद प्रवाहों को अनुच्छेद 33 तथा 34 के अनुसार बंद परिचालन के रूप में प्रस्तुत करेगा और यह उस तिथि पर करेगा जिस पर उसका प्रयोग बंद कर दिया गया था। परित्याग की जाने वाली गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) में वे गैर चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूह) भी सम्मिलित हैं जिन्हें उनके आर्थिक जीवन के अंत तक प्रयुक्त किया जाना है और गैर चालू आस्तियां (अथवा निपटान समूह) जिन्हें बेचने की बजाय बंद किया जाना है।
14. एक प्रतिष्ठान एक गैर चालू आस्ति का उस स्थिति में लेखा नहीं करेगा जिसे अस्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया गया हो, जैसे कि, उसका परित्याग कर दिया गया हो।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्तियों (अथवा निपटान समूहों) का माप

गैर-चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप

15. एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत घटाकर उसके उचित मूल्य, इनमें से जो भी कम है, उस पर करेगा।
- 15 क. एक प्रतिष्ठान स्वामियों को वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का माप उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा वितरण की लागत घटाकर उचित मूल्य, इनमें से जो भी कम है, उस पर करेगा।⁴
16. यदि नयी अधिगृहीत आस्ति (अथवा निपटान समूह) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड (अनुच्छेद 11 देखें) को पूरा करती है, तो अनुच्छेद 15 का प्रयोग यह परिणाम देगा कि आस्ति को आरंभिक मान्यता पर अग्रणीत (कैरिंग) राशि पर, जैसे कि उसका वर्गीकरण इस रूप में किया ही नहीं गया है, (उदाहरण के लिए, लागत) तथा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य, इन दोनों में से जो भी राशि कम है उस पर मापा जायेगा। अतः यदि आस्ति (अथवा निपटान समूह) को व्यवसाय के संयोजन के रूप में अधिगृहीत किया गया है, तो इसे उचित मूल्य घटा बिक्री के लिए लागत पर मापा जाएगा।
17. जब बिक्री की एक वर्ष के बाद होने की आशा है तब प्रतिष्ठान बिक्री की लागतों को उनके वर्तमान मूल्य पर मापेगा। समय बीतने के बाद यदि बिक्री की लागतों के वर्तमान मूल्य में कोई वृद्धि होती है, तो उसे वित्त पोषण लागत के रूप में लाभ अथवा हानि में प्रस्तुत किया जाएगा।

⁴ वितरण के लिए लागतें वे वृद्धिशील लागतें हैं जो वितरण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं और इनमें वित्तीय लागतें व आयकर-संबंधी व्यय सम्मिलित नहीं हैं।

18. बिक्री के लिए धारित आस्ति (अथवा निपटान समूह) के आरंभिक वर्गीकरण से एकदम पूर्व आस्ति (अथवा समूह की आस्तियों या दायित्वों) की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों को लागू इंड ए एस के अनुसार मापा जायेगा ।
19. एक निपटान-समूह के बाद में पुनः माप पर किसी आस्ति तथा दायित्व की अग्रणीत (कैरिंग) राशियों को जो इस भारतीय लेखा मानक की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं, लेकिन बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह में सम्मिलित हैं, निपटान समूह की बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य पर पुनः माप से पूर्व लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनः मापा जाएगा ।

क्षतिग्रस्तता हानियों एवं उलटाव की मान्यता

20. एक प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) के किसी आरंभ के अथवा बाद के अपलेखन के लिए क्षतिग्रस्तता हानि को बिक्री लागतें घटाकर उचित मूल्य पर उस हद तक मान्यता देगा जहां तक अनुच्छेद 19 के अनुसार मान्यता नहीं दी गयी है।
21. एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य में किसी बाद की वृद्धि से हुए लाभ को मान्यता देगा परन्तु वह संग्रहीत क्षतिग्रस्तता हानि से अधिक नहीं होगा जिसे इस इंड ए एस के अनुसार अथवा पहले इंड ए एस 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, के अनुसार मान्यता दी थी।
22. एक प्रतिष्ठान एक निपटान समूह की बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य में बाद की वृद्धि के लिए लाभ को निम्नलिखित अनुसार मान्यता देगा :
- (क) जिस हद तक इसे अनुच्छेद 19 के अनुसार मान्यता नहीं दी गयी है; परन्तु
- (ख) संग्रहीत क्षतिग्रस्तता हानि, जिसे इस इंड ए एस अथवा पहले इंड ए एस 36 के अनुसार, गैर चालू आस्ति पर मान्यता दी है और जो इस भारतीय लेखा मानक के माप की अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है।
23. एक निपटान समूह के लिए मान्य क्षतिग्रस्तता हानि (अथवा बाद का कोई लाभ) एक मान्य समूह में गैर चालू आस्ति की अग्रणीत (कैरिंग) राशि को कम करेगा (अथवा बढ़ाएगा) जो भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 36, के अनुच्छेद 104 (क) तथा (ख) और अनुच्छेद 122 में निर्धारित किए गए आबंटन के क्रम में इस भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) की माप अपेक्षाओं के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत है।
24. एक लाभ अथवा हानि को जिसे गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) की बिक्री पर पहले मान्यता नहीं दी गयी है, गैर मान्यता की तिथि पर मान्यता दी जायेगी । अमान्यता से संबंधित अपेक्षाएं इस प्रकार से निर्धारित की गयी है :
- (क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए इंड ए एस 10 के अनुच्छेद 67-72, तथा
- (ख) अमूर्त आस्तियों के लिए इंड ए एस 38, *अमूर्त आस्तियां*, के अनुच्छेद 112-117 ।
25. एक प्रतिष्ठान उस गैर चालू आस्ति को मूल्यह्रासित (अथवा परिशोधित) नहीं करेगा जिसे किसी बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा यह बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान

समूह का एक भाग है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की देयताओं से जुड़े ब्याज तथा अन्य व्यय को मान्यता जारी रहेगी।

बिक्री की योजना में परिवर्तन

26. यदि प्रतिष्ठान ने एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री में धारित के रूप में वर्गीकृत तो किया है लेकिन उसने अनुच्छेद 7-9 में दिये गये मानदंड पूरे नहीं किये हैं तो प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर देगा।
27. प्रतिष्ठान ने जब एक गैर-चालू आस्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर दी है, (अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान-समूह में शामिल करना बंद कर दिया है), तो वह निम्नलिखित में जो कम है, उस पर माप करेगा :
- (क) जब आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया था, उससे पूर्व अग्रणीत (कैरिंग) राशि को किसी मूल्यहास, परिशोधन अथवा पुनर्मूल्यांकन से समायोजित किया जाता है व मान्यता दी जाती अगर आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया ही नहीं गया होता; तथा
- (ख) बिक्री न करने के बाद के निर्णय की तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि।⁵
28. प्रतिष्ठान गैर चालू आस्ति जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से बंद हो जाती है की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के अपेक्षित समायोजन को उस अवधि के जारी परिचालन से लाभ अथवा हानि में सम्मिलित करेगा⁶ जिसमें अनुच्छेद 7-9 के मानदंड पूरे नहीं हुए हैं। बिक्री के रूप में धारित में वर्गीकरण की बाद की अवधियों के वित्तीय वितरणों को तदानुसार संशोधित किया जायेगा यदि निपटान समूह अथवा गैर चालू सम्पत्ति जो बिक्री के रूप में वर्गीकृत किये जाने से बन्द हो जाती है एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त परिचालन, संयुक्त उद्यम, सहयोगी प्रतिष्ठान या एक संयुक्त उद्यम या एक सहयोगी प्रतिष्ठान में हित का एक भाग है। उस समायोजन को लाभ तथा हानि के विवरण में उसी शीर्ष में प्रस्तुत करेगा जैसेकि अनुच्छेद 37 के अनुसार मान्य एक लाभ अथवा हानि को, यदि कोई है, को प्रस्तुत किया गया हो।
29. यदि एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह से एक व्यक्तिगत आस्ति अथवा दायित्व को हटाता है, तो निपटान समूह की शेष आस्ति तथा दायित्व, जिसे बेचा जाना है, एक समूह के रूप में माप जारी रहेगा यदि समूह अनुच्छेद 7-9 के मानदंड को पूरा करता है। अन्यथा, समूह

⁵ यदि गैर चालू आस्ति एक नकद सृजन इकाई का भाग है, इसकी वसूली योग्य राशि ही अग्रणीत (कैरिंग) राशि है जिसे भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस नकद सृजन इकाई से उत्पन्न किसी क्षतिग्रस्तता हानि के आवंटन के पश्चात् मान्यता दी गयी है।

⁶ जब तक आस्ति, एक सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर अथवा अमूर्त आस्ति न हो जिसे भारतीय लेखा मानक 16 अथवा भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसरण में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत से पूर्व पुनः मूल्यांकित किया गया है, उस मामले में, समायोजन को पुनः मूल्यांकन की वृद्धि अथवा कमी के रूप में माना जायेगा।

की शेष गैर चालू आस्तियां, जो व्यक्तिगत रूप से बिक्री के लिए धारित आस्ति के रूप में वर्गीकृत मानदंड को पूरा करती है उस तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उसकी अग्रणीत (कैरिंग) राशि तथा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य इन दोनों में जो कम है, उस पर मापा जायेगा। कोई गैर चालू आस्ति, जो मानदंड को पूरा नहीं करती, अनुच्छेद 26 के अनुसार बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने से बंद हो जायेगी।

प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटन

30. एक प्रतिष्ठान उस सूचना को प्रस्तुत तथा प्रकट करेगा जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को बंद परिचालनों तथा गैर चालू आस्तियों के निपटानों (अथवा निपटान समूहों) के वित्तीय प्रभावों का आकलन करने में समर्थ करती है।

बंद परिचालनों का प्रस्तुतिकरण

31. एक प्रतिष्ठान का घटक परिचालनों तथा नकद प्रवाहों से मिल कर बना होता है जिन्हें स्पष्ट रूप से शेष प्रतिष्ठान से परिचालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए अलग किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, एक प्रतिष्ठान का घटक एक नकद सृजक इकाई अथवा नकद सृजक इकाइयों का समूह होगा जब इसे उपयोग के लिए धारित किया है।
32. एक बंद परिचालन, एक प्रतिष्ठान का वह घटक है जिसका या तो निपटान किया गया है अथवा उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा
- (क) वह व्यवसाय की एक पृथक मुख्य रेखा है अथवा परिचालनों के पृथक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- (ख) वह परिचालनों का एक भौगोलिक क्षेत्र अथवा व्यवसाय की पृथक मुख्य रेखा के निपटान की एक एकल समन्वित योजना का एक भाग है ; अथवा
- (ग) वह पुनः बिक्री के आशय से एक निष्ट रूप से अधिग्रहीत एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है।
33. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा
- (क) निम्नलिखित के योग से मिलकर बनी लाभ एवं हानि के विवरण में एक एकल राशि :
- (i) बंद परिचालनों का करोपरांत लाभ अथवा हानि, तथा
- (ii) बंद परिचालन के रूप में गठित आस्तियों या निपटान समूह (समूहों) के निपटान पर अथवा बिक्री की लागत को घटाकर उचित मूल्य के माप पर मान्य करोपरांत लाभ अथवा हानि।
- (ख) उपर्युक्त 'क' में एकल राशि का निम्नलिखित में विश्लेषण :
- (i) बंद परिचालनों का राजस्व, व्यय तथा करपूर्व लाभ अथवा हानि
- (ii) इंड ए एस 12 के अनुच्छेद 81 (झ) द्वारा अपेक्षित संबंधित आयकर व्यय ; तथा

(iii) बंद परिचालन के रूप में गठित आस्तियों या निपटान समूह (समूहों) के निपटान पर या बिक्री की लागतों को घटा कर उचित मूल्य के माप पर मान्य लाभ अथवा हानि ; तथा

(iv) इंड ए एस 12 के अनुच्छेद 81 (झ) द्वारा अपेक्षित संबंधित आयकर व्यय ।

विश्लेषण को टिप्पणियों में अथवा लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इसे लाभ तथा हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे बंद परिचालनों से संबंधित एक अलग खंड में प्रस्तुत किया जायेगा अर्थात् जारी परिचालनों से पृथक । विश्लेषण निपटान समूह उन नयी अधिग्रहीत अनुषंगियों के लिए आवश्यक नहीं है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है (देखें अनुच्छेद 11) ।

(ग) बंद परिचालनों की परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से जुड़े शुद्ध नकदी प्रवाह । इन प्रकटनों को या तो वित्तीय विवरणों में अथवा टिप्पणियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन प्रकटनों की निपटान समूह के लिए अवश्यकता नहीं है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है। (अनुच्छेद 11 देखें)

(घ) मूल प्रतिष्ठान के स्वामियों से संबंधित चालू तथा बंद परिचालनों से आय की राशि । ये प्रकटन टिप्पणियों में अथवा लाभ तथा हानि के विवरणों में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

33 क [देखें परिशिष्ट 1]

34. एक प्रतिष्ठान वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत गत अवधि के लिए अनुच्छेद 33 में प्रकटन को पुनः प्रस्तुत करेगा ताकि प्रकटन उन सभी परिचालनों से प्रस्तुत नवीनतम अवधि के लिए संबंधित रहें जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक बंद हो गये हैं।

35. बंद परिचालन में पहले से प्रस्तुत राशि की चालू अवधि में समायोजन जो गत अवधि में बंद परिचालन के निपटान से सीधा रूप से संबंधित का बंद परिचालन में पृथक रूप से वर्गीकृत किया जायेगा । इस प्रकार के समायोजन की प्रकृति तथा राशि को प्रकट किया जायेगा। इस प्रकार की परिस्थिति के उदाहरण, जिसमें समायोजन उत्पन्न हो सकता है, में निम्न सम्मिलित हैं :

(क) अनिश्चितता का समाधान जो निपटान लेनदेन की शर्त से उत्पन्न होता है, जैसे क्रय कीमत समायोजन का समाधान तथा क्रेता के साथ क्षतिपूर्ति का मुददा ।

(ख) अनिश्चितताओं का समाधान जो निपटान से पूर्व घटक के परिचालन से उत्पन्न होता है तथा सीधे रूप से संबंधित है, जैसे विक्रेता द्वारा रखे गये पर्यायवरण तथा उत्पाद वारंटी संबंधी बाध्यता।

(ग) कर्मचारी लाभ योजना की बाध्यताओं का निपटान बशर्ते निपटान सीधे रूप से निपटान लेन-देनों से संबंधित है।

36. यदि एक प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान के एक घटक को बिक्री हेतु वर्गीकरण में बंद करता है, अनुच्छेद 33-35 के अनुसार बंद परिचालन में पहले से प्रस्तुत घटक का परिचालन का परिणाम को पुनः वर्गीकृत किया जाएगा तथा प्रस्तुत सभी अवधि के लिए जारी परिचालन से आय में सम्मिलित किया जाएगा । पूर्व अवधि के लिए राशि को इस तरह से वर्णित किया जायेगा कि जैसे वह पुनः प्रस्तुत की गई है।

- 36 क. एक प्रतिष्ठान जो बिक्री योजना से प्रतिबद्ध है जिससे एक अनुषंगी के नियंत्रण की समाप्ति हो जाएगी, अनुच्छेद 33-36 में अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगा, जब अनुषंगी एक निपटान समूह है जो अनुच्छेद 32 के अनुसार बंद परिचालन की परिभाषा को पूरा करता है।

चालू परिचालनों से संबंधित लाभ (गेन) अथवा हानियां

37. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) के, जो एक बंद परिचालन की परिभाषा को पूरा नहीं करती है, पुनः माप पर लाभ अथवा हानि को चालू परिचालन से लाभ अथवा हानि में सम्मिलित किया जायेगा।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति अथवा निपटान समूह का प्रस्तुतिकरण

38. एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति तथा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की आस्तियों को तुलन पत्र में अन्य आस्तियों से पृथक प्रस्तुत करेगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह के दायित्वों को तुलन-पत्र में अन्य दायित्वों से पृथक प्रस्तुत किया जायेगा। उन आस्तियों तथा दायित्वों को समंजित (ऑफसेट) नहीं किया जाएगा तथा एक एकल राशि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियां तथा दायित्वों की प्रमुख श्रेणियों को अनुच्छेद 39 द्वारा अनुमेय के सिवाय, या तो तुलन पत्र में अथवा टिप्पणियों में पृथक रूप से प्रकट किया जायेगा। एक प्रतिष्ठान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) से संबंधित किसी संग्रहीत आय अथवा व्यय को, जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गयी है, पृथक रूप से प्रस्तुत करेगा।
39. यदि निपटान समूह एक नयी अधिग्रहीत अनुषंगी है जो अधिग्रहण पर बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंड को पूरा करती है, (देखें अनुच्छेद 11) तो आस्तियों तथा दायित्वों की प्रमुख श्रेणियों के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।
40. एक प्रतिष्ठान प्रस्तुत नवीनतम अवधि के तुलनपत्र में वर्गीकृत को परिलक्षित करने के लिए पूर्व अवधियों के तुलनपत्रों में प्रस्तुत गैर चालू आस्तियों अथवा बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत एक निपटान समूह की आस्ति तथा दायित्वों को पुनः वर्गीकृत अथवा पुनः प्रस्तुत नहीं करेगा।

अतिरिक्त प्रकटन

41. एक प्रतिष्ठान अवधि में जिसमें, एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है अथवा बेचा गया है, निम्नलिखित सूचना को टिप्पणियों में प्रकट करेगा :

(क) गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) का विवरण ;

(ख) बिक्री के तथ्यों तथा परिस्थितियों अथवा प्रत्याशित निपटान की तरफ ले जाने वाले तथ्यों व परिस्थितियों का वर्णन तथा उस निपटान की प्रत्याशित विधि तथा समय ;

- (ग) अनुच्छेद 20-22 के अनुसार मान्य लाभ अथवा हानि तथा, यदि इसे लाभ तथा हानि के विवरण में अलग-से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो लाभ अथवा हानि के विवरण में लाभ या हानि का शीर्ष जिसमें ये लाभ अथवा हानि सम्मिलित हैं।
- (घ) यदि लागू है, रिपोर्ट योग्य खंड जिसमें गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को इंड ए एस 108, *परिचालन खंड*, के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
42. यदि अनुच्छेद 26 अथवा 29 लागू होता है तो एक प्रतिष्ठान उस अवधि के दौरान, जिसमें कि गैर-चालू आस्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की योजना को बदलने का निर्णय लेता है, निर्णय लेने के तथ्यों व परिस्थितियों का वर्णन और उस अवधि और पूर्व की प्रस्तुत किसी अवधि के परिचालनों के परिणामों के निर्णय के प्रभाव को प्रकट करेगा ।

परिशिष्ट क

परिभाषित शब्दावली

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

नकद सृजक इकाई	आस्तियों का सबसे छोटा पहचान योग्य समूह जो नकद प्रवाहों (कैश फ्लो) को सृजित करता है और जो मुख्यतया अन्य आस्ति अथवा आस्तियों के समूह के नकद प्रवाहों से स्वतंत्र है।
एक प्रतिष्ठान का घटक	नकद प्रवाह तथा परिचालन जिन्हें स्पष्ट रूप से परिचालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, प्रतिष्ठान के बाकी भाग से अलग किया जा सकता है।
बिक्री लागतें	वित्त लागतों तथा आयकर व्ययों को छोड़कर आस्ति (अथवा निपटान समूह) के निपटान से प्रत्यक्षतया संबंधित वृद्धिशील लागतें।
चालू आस्ति	एक प्रतिष्ठान एक आस्ति को चालू आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत करेगा जब: (क) एक सामान्य परिचालन चक्र में यह आस्ति से राशियां प्राप्त करने की आशा करता है अथवा इसकी बिक्री करने अथवा इसका उपभोग करने का इरादा रखता है। (ख) यह व्यापार के उद्देश्य के लिए आस्ति को मुख्यतः धारित करता है। (ग) यह रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर आस्ति से राशि प्राप्त करने की आशा करता है। (घ) आस्ति नकदी अथवा नकदी तुल्य है, [जैसा कि इंड ए एस 7 में परिभाषित है] जब तक आस्ति को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह तक, दायित्व के निपटान के लिए प्रयुक्त अथवा विनियम के लिए, परिसीमित न किया गया हो।
बंद परिचालन	एक प्रतिष्ठान व वह घटक जिसका या तो निपटान कर दिया गया है अथवा उसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा: (क) वह व्यवसाय की प्रमुख रेखा अथवा परिचालन के एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है; (ख) वह परिचालनों का एक भौगोलिक क्षेत्र अथवा व्यापार की पृथक प्रमुख रेखा के निपटान की एकल समन्वित योजना का एक भाग है; अथवा (ग) वह केवल पुनः बिक्री के आशय से एक निष्पत्ति से अधिगृहित एक अनुषंगी प्रतिष्ठान है।
निपटान समूह	एक एकल लेन-देन में एक समूह के रूप में बिक्री या अन्यथा निपटान की जाने वाली आस्ति का समूह है तथा उन आस्तियों के साथ प्रत्यक्षतया संबंधित दायित्व

भी हैं जिन्हें लेन-देन में अंतरित किया जायेगा । समूह में एक व्यावसायिक संयोजन में अधिगृहित ख्याति (गुडविल) भी इसमें सम्मिलित है यदि समूह एक **नकद सृजक इकाई** है जिसमें ख्याति (गुडविल) को भारतीय लेखा मानक 36 *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता* के अनुच्छेद 80-87 की अपेक्षा के अनुसार आबंटित किया गया है या यह नकद सृजक इकाई के अन्दर एक परिचालन है।

उचित मूल्य	उचित मूल्य वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113)।
पक्की क्रय प्रतिबद्धता	असंबद्ध पक्ष के साथ एक ऐसा समझौता, जो दोनों पक्षों पर बाध्य है तथा प्रायः कानूनी रूप से लागू होने योग्य है जो कि (क) लेन-देनों की सभी महत्वपूर्ण उल्लेखनीय शर्तों जिनमें की समय तथा कीमत सम्मिलित है को विनिर्दिष्ट करता है तथा (ख) गैर निष्पादन को निरुत्साहित करता है जो कि निष्पादन को अति संभावित बनाने के लिए पर्याप्त है।
अति संभाव्य	जिसके होने की संभावना बहुत अधिक हों ।
गैर चालू आस्ति	एक आस्ति जो चालू आस्ति की परिभाषा को पूरा नहीं करती ।
संभाव्य	जिसके होने की संभावना न होने से अधिक हो ।
वसूली-योग्य राशि	आस्ति की बिक्री लागत को घटाकर उचित मूल्य तथा इसके उपयोग में मूल्य , इनमें से जो भी राशि अधिक है।
उपयोग का मूल्य	एक आस्ति के निरन्तर उपयोग से उत्पन्न होने तथा इसके उपयोगी जीवन के अंत में निपटान से संभावित भावी नकद प्रवाह का वर्तमान मूल्य ।

परिशिष्ट ख

प्रयोग-संबंधी पूरक

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

बिक्री को पूरा करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार

- ख 1. जैसा कि अनुच्छेद 9 में नोट किया गया है, एक बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि का विस्तार एक आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण से रोकता नहीं है यदि देरी प्रतिष्ठान के नियंत्रण के बाहर परिस्थिति अथवा घटना के कारण हुई है तथा इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि प्रतिष्ठान आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद 8 में एक वर्ष की अपेक्षा का अपवाद इसलिए निम्न स्थितियों में लागू होता है, जिसमें इस प्रकार की घटनाएं अथवा परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं :
- (क) जिस तिथि पर एक प्रतिष्ठान स्वयं गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को बेचने की योजना के प्रति प्रतिबद्ध है, यह उचित रूप से आशा करता है कि अन्य (लेकिन क्रेता नहीं) आस्ति (अथवा निपटान समूह) के अंतरण पर शर्तें लगाएंगें जो बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि को बढ़ायेगी , तथा
- (i) उन शर्तों के प्रत्युत्तर के लिए आवश्यक कार्यवाही जिसे एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता के प्राप्त होने तक आरंभ नहीं किया जा सकता ;
- (ii) एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता एक वर्ष के भीतर अति संभाव्य है।
- (ख) एक प्रतिष्ठान एक पक्की क्रय प्रतिबद्धता को प्राप्त करता है तथा परिणामस्वरूप एक क्रेता अथवा अन्य अप्रत्याशित रूप से पहले से बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) के अंतरण पर शर्त लगाते हैं जो बिक्री को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अवधि को बढ़ायेगा ।
- (i) उन शर्तों के प्रत्युत्तर में आवश्यक और समय रहते कार्यवायी कर ली गयी है ; तथा
- (ii) विलम्ब के कारको का अनुकूल समाधान अपेक्षित है ।
- (ग) आरंभिक एक वर्ष की अवधि के दौरान, ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जिन्हें पहले संभव नहीं माने जा रहे थे तथा परिणामस्वरूप, बिक्री के लिए धारित के रूप में पहले से वर्गीकृत एक गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को इस अवधि के अंत तक बेचा नहीं गया, तथा :
- (i) आरंभिक एक वर्ष अवधि के दौरान प्रतिष्ठान ने परिस्थिति में परिवर्तन के प्रत्युत्तर के लिए आवश्यक कार्यवाही की ;
- (ii) गैर चालू आस्ति (अथवा निपटान समूह) को एक कीमत जो कि परिवर्तित परिस्थितियों में उचित है पर सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है;
- (iii) अनुच्छेद 7 तथा 8 के मानदंडों को पूरा किया गया है।

परिशिष्ट ग

अन्य भारतीय लेखा मानकों में समाविष्ट मामलों का संदर्भ

यह परिशिष्ट इस इंड ए एस का एक अभिन्न अंग है।

इंड ए एस 10, *रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं*, में समाविष्ट परिशिष्ट 'क' *स्वामियों को गैर नकद आस्तियों का वितरण*, इस लेखा मानक को संदर्भित करता है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 तथा अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची 'आई एफ आर एस' 5, 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन' के बीच, यदि कोई प्रमुख अन्तर हों, तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।

'आई एफ आर एस' 5, बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन के साथ तुलना

1. 'आई एफ आर एस' 5 में दिये गये संक्रमणकालीन उपबंध को इंड ए एस 105 में दिया नहीं गया है, क्योंकि भारतीय लेखा मानकों के सभी संक्रमणकालीन उपबंध, जहां उचित समझा गया है, 'आई एफ आर एस' 1, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमवार अंगीकरण, के तदनुसूची भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमवार अंगीकरण' में सम्मिलित कर दिये गये हैं।
2. इस मानक में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उदाहरणतया, शब्दों 'वित्तीय स्थिति का विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलन-पत्र' और शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्द 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने का प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरण जारी करने का अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
3. 'आई एफ आर एस' 5 के अनुच्छेद 33क के अधीन अलग आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, अन्य आय विवरण में बन्द परिचालनों की प्रस्तुति विषयक अपेक्षाएं भारतीय लेखा मानक 105 में हटा दी गयी हैं। यह परिवर्तन इंड ए एस 1 के द्वि-विवरण दृष्टिकोण के संबंध से विकल्प को हटाने के परिणामस्वरूप है। इंड ए एस 1 यह अपेक्षा करता है कि लाभ-हानि घटकों और अन्य व्यापक आय के घटकों को लाभ-हानि विवरण के एक अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हालांकि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 105 का अनुच्छेद संख्या 33क इस आशय से रहने दिया गया है ताकि 'आई एफ आर एस' 5 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ भारतीय लेखा मानक 105 की क्रमबद्धता बनी रहे।
4. 'आई एफ आर एस' 5 का अनुच्छेद 5 (घ) गैर-चालू आस्तियों पर चर्चा करता है। जिन्हें आई ए एस 40 निवेश सम्पत्ति के उचित मॉडल के अनुसार लेखाकित किया जाता है। चूंकि भारतीय लेखा मानक 40 उचित मूल्य मॉडल के प्रयोग को प्रतिषिद्ध (वर्जित) करता है, अतः इस अनुच्छेद को भारतीय लेखा मानक 105 से हटा दिया गया है।
5. अनुच्छेद 7 बिक्री के लिए धारित गैर चालू अस्ति (या निपटान समूह) के रूप में वर्गीकरण की शर्तों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 7 में एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है कि यदि प्रतिष्ठान बिक्री भविष्य में बहुत समय के बाद करना चाहता है तब गैर चालू अस्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।